न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 75/2020

अनवान

1. कालु पुत्र सोला मुतबन्ना छोगा अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
2. रतन पुत्र सोला अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
3. शंकरलाल पुत्र सोला अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
4. सीताराम पुत्र उदा अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
5. किशन पुत्र चन्द्रा अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
6. सोनी पत्नी स्व0 श्री नारायण अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
7. पप्पू पुत्र स्व0नारायण अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
8. कमलेश पुत्र स्व0 श्री नारायण अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
9. टीनू पुत्र स्व. श्री नारायण अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।
10. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री नारायण अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला–भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन पुत्र रूपा अहीर निवासी औज्याड तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 01–04–2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 96 की कृषि भूमि की आ.न. 1350 रकबा 0.0506 है. कुल किता 01 रकबा 0.0506 है. भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:37:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ [illegible] दिये जाते है कि **ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 96 की कृषि भूमि की आ.न. 1350 रकबा 0.0506 है. कुल किता 01 रकबा 0.0506 है. भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के [illegible] में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार [illegible]रित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ